# समाहरणालय, मधुबनी।

## (जिला भू–अर्जन शाखा)

पत्रांक................... /जि0भू0अ0,

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकार–सह–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड,
पटना, बिहार।

मधुबनी, दिनांक..........वीं सितम्बर, 2024 ई0

विषय :– दरभंगा– कमतौल– मधवापुर (SH–75) परियोजना में अर्जन से संबंधित गजट/अर्जन संबंधी सत्यापित दस्तावेज एवं संरेखण नक्शा की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0 पकाई–सुपौल का पत्रांक– 538, दिनांक– 25.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई– सुपौल (मधुबनी) ने पत्रांक– 387, दिनांक– 05.07.2024 के द्वारा भारतमाला परियोजना पैकेज– 1 सेक्शन– 2 (साहरघाट से रहिका) अन्तर्गत मौजा– साहर में वन अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छा की गई कि "सड़क के किनारे संरक्षित वन, जिसे डायवर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया है जो अतिक्रमण से अत्यधिक प्रभावित है" तथा अतिक्रमण हटाने की फुल प्रुफ प्रक्रिया की माँग की गई। इसी क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं अधियाची विभाग के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि मौजा– साहर में कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजार एवं बस्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण है।

प्रासंगिक पत्र में यह उल्लेखित है कि दरभंगा– कमतौल– मधवापुर (SH–75) सड़क परियोजना का कार्य बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, द्वारा कराया गया है। वर्तमान में भारतमाला परियोजना पैकेज–1 सेक्शन– 2 (साहरघाट से रहिका) में ही अंचल– मधवापुर अन्तर्गत मौजा– साहर में भूमि का अर्जन किया गया है, परन्तु पूर्व अर्जित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य/अभिलेख अधियाची विभाग को उपलब्ध नही है।

अतः अनुरोध है कि दरभंगा– कमतौल– मधवापुर (SH–75) परियोजना में मौजा– साहर का गजट/अर्जन संबंधित सत्यापित दस्तावेज एवं संरेखण नक्शा की प्रति यथाशिघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि परियोजना का कार्य सूचारू रूप से हो सकें।

**संलग्नः–** यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सक्षम प्राधिकार–सह–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 951 /जि0भू0, मधुबनी, दिनांक 26/9/24

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0 पकाई– सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गजट/अर्जन संबंधित दस्तावेज एवं संरेखण नक्शा की प्रति प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/9/24
सक्षम प्राधिकार–सह–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

D:\BHARATMALA\Package-1\Section-2\Letter.docx

# समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

ज्ञापांक 702 /जि0भू0अ0,

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकार–सह–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, दरभंगा।

मधुबनी, दिनांक 18 वीं जुलाई, 2024 ई0

विषय :- भारतमाला परियोजना पैकेज–1 सेक्शन–2 (साहरघाट से रहिका) अंचल– मधवापुर, मौजा– साहर में गजट/अर्जन से संबंधित सत्यापित विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- भा0रा0रा0प्रा0 पकाई– सुपौल (मधुबनी) का पत्रांक– 387, दिनांक– 05.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना पैकेज–1 सेक्शन– 2 (साहरघाट से रहिका) अन्तर्गत मौजा– साहर में अधियाची विभाग के द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि वन अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा पृच्छा की गई कि "सड़क के किनारे संरक्षित वन, जिसे डायवर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया, अतिक्रमण से अत्यधिक प्रभावित है" तथा अतिक्रमण हटाने की फुल प्रुफ प्रक्रिया की मॉंग की थी।

इसी के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं अधियाची विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि मौजा– साहर में कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजार एवं बस्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण है। दिनांक– 28.06.2024 को आयोजित भू–अर्जन कार्यों की साप्ताहिक बैठक में समाहर्त्ता महोदय के निदेशानुसार अतिक्रमण हटाने संबंधित खेसरावार सूची की मॉंग की गई जो अधियाची विभाग के द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग, मधुबनी से अंचल– मधवापुर, मौजा– साहर में गजट/अर्जन से संबंधित सत्यापित विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त सूचित किया गया कि गजट/अर्जन से संबंधित सत्यापित विवरणी संबंधित कागजात मधुबनी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, संबंधित कागजात पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल दरभंगा कार्यालय में उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि अंचल– मधवापुर, मौजा– साहर में गजट/अर्जन संबंधित सत्यापित दस्तावेज की प्रति यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि परियोजना का कार्य सूचारू रूप से हो सकें।

संलग्न– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सक्षम प्राधिकार–सह–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

Annexure-IV

# समाहरणालय, मधुबनी।

## (जिला भू–अर्जन शाखा)

पत्रांक............../जि0भू0अ0

प्रेषक,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
मधवापुर।

मधुबनी, दिनांक..........वीं जुलाई, 2024 ई0

विषयः– भारतमाला परियोजना पैकेज– 1 सेक्शन– 2 (साहरघाट से रहिका) अन्तर्गत मौजा– साहर अवस्थित संभावित अतिक्रमण संरचनाओं की सूची को जाँच/सत्यापित करने के संबंध में।

प्रसंगः– भा0रा0रा0प्रा0 पकाई– सुपौल का पत्रांक– 348, दिनांक– 07.06.2024 एवं 387, दिनांक– 05.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना पैकेज– 1 सेक्शन– 2 (साहरघाट से रहिका) अन्तर्गत मौजा– साहर में अधियाची विभाग के द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि वन अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छा की गई कि "सड़क के किनारे संरक्षित वन, जिसे डायवर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया है अतिक्रमण से अत्यधिक प्रभावित है" तथा अतिक्रमण हटाने की फुल प्रुफ प्रक्रिया की माँग की थी।

इसी के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं अधियाची विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि मौजा– साहर में कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजार एवं बस्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण है। दिनांक– 28.06.2024 को आयोजित भू–अर्जन कार्यों की सप्ताहिक बैठक में समाहर्त्ता महोदय के निदेशानुसार अतिक्रमण हटाने संबंधित खेसरावार सूची की माँग की गई जो अधियाची विभाग के द्वारा पत्रांक संख्या– 387, दिनांक– 05.07.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में भारतमाला परियोजना पैकेज–1 सेक्शन–2 (साहरघाट से रहिका) अन्तर्गत अंचल–मधवापुर, मौजा–साहर में अवस्थित संभावित अतिक्रमण संरचनाओं का जाँच/सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य के लिए अंचल अधिकारी मधवापुर की अध्यक्षता में दिनांक– 16/07/2024 को जाँच/सत्यापन हेतु निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

1. श्री विजय कुमार, राजस्व अधिकारी–सह– कानूनगो, जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी।
2. श्री कमलेश कुमार सिंह, अमीन, जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी।
3. श्री विकास यादव, अमीन, अंचल कार्यालय मधवापुर।
4. श्री नवनीत भारद्वाज, अमीन, भा0रा0रा0प्रा0 पकाई– सुपौल (मधुबनी)।

सभी संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि मौजा– साहर में संलग्न सूची में वर्णित खेसराओं की जाँच/सत्यापन निर्धारित तिथि को करते हुए जाँच/सत्यापन के पश्चात स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नः–** यथोक्त।

विश्वासभाजन,

-ह0-

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 666 /जि0भू0, मधुबनी, दिनांक 9/7/2024

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0 पकाई– सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी।